रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 1987/आषाढ 19, 1909
No. 356] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 1987/ASADHA 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1987

आदेश

का. आ. 689 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छनसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) (राजस्व पक्ष) के आदेश सं. का. आ.

840 (अ) सं. 2/प्रशा. (6)/76 साफेमा तारीख 30 दिसम्बर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में स्तम्भ (1) में, "श्री पी. पी. सिंह" शब्द और अक्षर के स्थान पर "श्री आर. बी. लाल" शब्द और अक्षर रखें जाएंगे ।

[सं. 7416 फा सं. 299/23/87/आ. क. (आई. एन. वी. III)]

डी. पी. पन्त, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th July, 1987

ORDER

S.O. 689(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with sub-section (2) of Section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking) (Revenue Wing) No. S.O. 840(E) [No. 2|Admn.(6)76-Safema] dated the 30th December, 1976 namely :—

In the Table below the said order in Column (1) for the words and letters "Shri P. P. Singh", the words and letters "Shri R. B. Lal" shall be substituted.

[No. 7416|F. No. 299|23|87-I.T.(INV. III)]

D. P. PANTA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987